उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक C/5647/ चार–12–14/10 जबलपुर, दिनांक 14/11/2022

प्रतिलिपि:–

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ....(समस्त)............मध्यप्रदेश,
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय ....(समस्त)............मध्यप्रदेश,
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
4. कोषालय अधिकारी ....(समस्त)...........मध्यप्रदेश,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी, कार्य विभाग, भोपाल,
का पत्र फा.क्रमांक 4343/21–ब (एक)/2022 भोपाल,
दिनांक 02.11.2022 सहित।

9.11.22

(अजय पवार)
रजिस्ट्रार (एम.)

1 38

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश
02 NOV 2022
जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 4343 / 21–ब(एक) / 2022 भोपाल, दिनांक 02..11.2022

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– **मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक 01.07.2022 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत राशि के भुगतान बावत्।**

केन्द्र सरकार के सेवारत अधिकारियों / कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1 / 3 / 2008–ई–II(बी), दिनांक 12.10.2022 के द्वारा पूर्व पुनरीक्षित (छठवा वेतनमान) में मंहगाई भत्ता दिनांक 01.07.2022 से 203 प्रतिशत से बढ़ाकर 212 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम–9 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर केन्द्रीय अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रदाय महंगाई भत्ता के समान न्यायिक सेवा के कार्यरत सदस्यों को भी महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। उक्त नियम 2010 के नियम–11(3) के अंतर्गत न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवारत सदस्यों के समान ही महंगाई भत्ता / राहत की पुनरीक्षित दरें लागू होंगी।

अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम–11(3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक 01.07.2022 से पेंशन पर राहत 203 प्रतिशत से बढ़ाकर 212 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई राहत का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1 / 3 / 2008–ई–II(बी), दिनांक 12.10.2022 में बताई गई रीति से होगा।

(2) इस आदेश के तहत देय महंगाई राहत का भुगतान दिनांक 01.07.2022 से नगद किया जावेगा।

(3) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(पी.के. द्विवेदी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11.2022

पृ. फा.क्रमांक 4343 / 21–ब(एक) / 2022
प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर / ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यककल्याणविभाग,मंत्रालय,भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवाल, भोपाल,
19. सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल,
25. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
26. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
27. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
28. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन–452010,
29. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल, मध्यप्रदेश,
31. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, चौराहा, इंदौर, मध्यप्रदेश,
32. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड मालगंज भोपाल
33. इलाहबाद बैंक ऑफिस कॉम्पलैक्स गौतम नगर भोपाल
34. बैंक ऑफ बाडोदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्पलैक्स एम.पी नगर भोपाल
35. बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल

36. यूनाईटिड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
37. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
38. पंजाब नैशनल बैंक ऑफ एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल
39. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स भोपाल
40. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
41. महालेखाकार, अन्य राज्य..........................
42. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(उमेश पाण्डव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग